प्रपत्र – 3

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

क्षेत्रीय वनमण्डल ....

फोन. नं. .... ईमेल ....

क्रं. / बी.ए.बी.एस. सेल / 2018 / ...., दिनाँक ....

प्रति,

1. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत / जनपद पंचायत या (संबंधित)**
2. **वन परिक्षेत्र अधिकारी / उप वनमण्डलाधिकारी या (संबंधित)**
3. **जैवविविधता प्रबंधन समिति (संबंधित)**

विषयः–जैवसंसाधनों के व्यावसायिक उपयोग हेतु प्राप्ति के संबंध में अभिमत बावत्।

संदर्भः– जैवसंसाधनों की प्राप्ति हेतु जैवसंसाधनो के व्यापारियों से प्राप्त फार्म–1।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित संलग्न सूची अनुसार आवेदकों के आवेदन जनपद पंचायत .... एवं .... जिला ...., जैवसंसाधनों के व्यापार (प्राप्ति / संग्रहण / क्रय) की अनुमति हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल को मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 17 के अनुसार फॉर्म–1 प्रेषित किया है।

अतः उपरोक्तानुसार आवेदकों (व्यापारियों) के आवेदनों अनुसार वर्णित क्षेत्रों से एकत्रित जैवसंसाधनों (सूची संलग्न) की प्राप्ति के संबंध निम्न मापदण्ड़ों के आधार अभिमत प्रेषित करने का कष्ट करें।

1. प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण एवं उपयोग संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2. प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण एवं उपयोग से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण से पारिस्थितिकी तंत्र प्रजातियों तथा आनुवांशिक विविधता सहित जैवविविधता के लिए कोई खतरा उत्पत्र नहीं करेगा।
4. प्रस्तावित जैवसंसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कृपया 15 दिवस में इस कार्यालय को अपना अभिमत प्रेषित करने का कष्ट करें। आपके अभिमत के आधार पर आवेदन के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

संलग्नः– जैवसंसाधनो की सूची।

वनमण्डलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
क्षेत्रीय वनमण्डल ....